

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड


क्रमांक:जेपीडी/मुअ(वाणिज्य)/अअ (आरई)/अधि.अ.(आर.ई-प)/प.1201/प्रे. 1477 जयपुर,दिनांक 2/11/07

आदेश

विषय:- कृषि कनैक्शन नीति-2004 (संशोधित 31.3.2007) के बिन्दु संख्या 22(1) (कनैक्शन होने से पहले स्थान परिवर्तन) में आंशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में।

समन्वय समिति की दिनांक 22.10.2007 को आयोजित 110वीं बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में कृषि कनैक्शन नीति -2004 (संशोधित 31.3.2007) में निम्न आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिए जाते हैं कि:-

कृषि कनैक्शन होने से पूर्व संबन्धित पंचायत समिति के क्षेत्र में एक स्थान से आवेदन दूसरे स्थान पर वर्तमान आवेदक के पिता, माता, पति, भाई, बहन, बेटे, बेटा व पुत्रवधु के नाम से राजस्व भूमि पर,उस राजस्व भूमि का स्वामित्व कम से कम दो वर्ष पूर्व का होने पर(उस भूमि, जहां कनैक्शन स्थानान्तरण होना हो) स्थानान्तरण कर दिया जावे जिसके लिए वर्तमान आवेदक की सहमति आवश्यक रहेगी, जो न्यूनतम 10/-रु० के स्टाम्प पेपर पर देनी होगी।


(बी.एल.अग्रवाल)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.जोधपुर को उनके द्वारा उक्त तरह के आदेश प्रसारित करने हेतु ।
- 3-निदेशक (वित्तीय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
- 4-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य/पवस-जयपुर जोन/आर.पी.)/कोटा जोन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर/कोटा ।
- 5-अधीक्षण अभियन्ता (पवस/प्लान/विधि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.----- ।
- 6-प्रावेधिक सहायक,राज्य मंत्री,उर्जा विभाग,विद्युत भवन,जयपुर ।
- 7-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.(राम बाग सर्किल)जयपुर ।
- 8-मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी () जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 9-अधिशाषी अभियन्ता(पवस/ग्रिवीन्सेज/एमआईएस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.----- ।
- 10-विशिष्ट सहायक,सलाहकार (एम), मुख्य मंत्री,सचिवालय,राज0सरकार,जयपुर ।
- 11-विद्युत विभागीय सलाहकार संभागीय आयुक्त मिनि सचिवालय जयपुर।
- 12-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 13-निजी सचिव,मा0 उर्जा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर को मा0 उर्जामंत्री के सूचनार्थ ।